भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1674
उत्तर देने की तारीख 10.03.2025

छत्तीसगढ़ में जनजातीय संस्कृति और कला का संरक्षण

1674. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में जनजातीय संस्कृति और लोक कलाओं के संरक्षण के लिए वित्तपोषित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य के लोक संगीत और नृत्य यथा पंथी, सुवा, करमा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसी योजना को वित्तपोषित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में किए जा रहे विभिन्न कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(च) केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): संस्कृति मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्र की विभिन्न स्कीमें संचालित करता है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश भर के सभी राज्यों में कला, संस्कृति और अमूर्त संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए पात्र सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तियों

(लोक/जनजातीय कलाकारों सहित) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य में इन स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तियों को विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एससीजेडसीसी), नागपुर की स्थापना की गई है, जो नियमित आधार पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य को शामिल करते हुए अपने सदस्य राज्यों की जनजातीय संस्कृति सहित लोक कलाओं और संस्कृति के विभिन्न रूपों को परिरक्षित, संवर्धित और संरक्षित करता है।

एससीजेडसीसी ने पंथी, सुवा और करमा सहित छत्तीसगढ़ राज्य के लोक संगीत और नृत्य को बढ़ावा देने के लिए लोक कला यात्रा, जनजातीय नृत्य महोत्सव, पारंपरिक मेला, लोक नृत्य भारत भारती जैसे विभिन्न कार्यक्रम/उत्सव, कार्यशालाएं, गुरु शिष्य परंपरा आदि आयोजित किए हैं।

एससीजेडसीसी अपने द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में पंथी, सुवा, करमा सहित छत्तीसगढ़ के लोक/जनजातीय कलाकारों को शामिल करता है जिसके लिए इन कलाकारों को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मानदेय के रूप में 3000/- (पहले दिन के लिए), 1500/- (दूसरे दिन के लिए) और 900/- (अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण के लिए) का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता, भोजन और आवास एवं स्थानीय परिवहन भी प्रदान किया जाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए), भारत सरकार द्वारा "जनजातीय शोध संस्थानों (टीआरआई) को सहायता'' और "जनजातीय शोध, सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम'' की स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं जिसके अंतर्गत जनजातीय संस्कृति, अभिलेखागारों, कलाकृतियों, जनजातीय समुदायों के रीति-रिवाजों और परंपराओं को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं। रायपुर, छत्तीसगढ़ के जनजातीय अनुसंधान संस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 29 जनजातीय अनुसंधान संस्थान हैं। इस संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं:

i. छत्तीसगढ़ राज्य सहित 10 राज्यों में 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों की संस्वीकृति प्रदान की गई है।

ii. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (टीआरआईएफईडी), जनजातीय उत्पादकों के आधार का विस्तार करने के लिए राज्यों/जिलों/गांवों में सोर्सिंग स्तर पर नए कारीगरों और उत्पादों की पहचान करने हेतु जनजातीय कारीगर मेलों (टीएएम) का आयोजन करता है।

iii. जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य स्तरीय जनजातीय महोत्सवों को भी टीआरआई स्कीम के माध्यम से पूर्णत: वित्तपोषित किया जाता है।

(ड.) विगत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में एससीजेडसीसी, नागपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा तथा लाभान्वित कलाकारों की संख्या **अनुलग्नक-III** पर दी गई है।

संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) वर्तमान में विज्ञान की संस्कृति के संवर्धन की स्कीम (एसपीओसीएस) के अंतर्गत दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में कुल 7.95 करोड़ रुपये की कुल लागत से डिजिटल तारामंडल स्थापित करने का कार्य कर रहा है।

(च): इस संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****

अनुलग्नक-I

'छत्तीसगढ़ में जनजातीय संस्कृति और कला का संरक्षण' के संबंध में दिनांक 10 मार्च, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1674 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मंच कला ब्यूरो, संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित स्कीमें

1. **गुरू-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)**

इस स्कीम का उद्देश्य नाट्य समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच आदि जैसे मंचकला कार्यकलापों की सभी शैलियों तथा गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप नियमित आधार पर कलाकारों को उनके संबंधित गुरु द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अनुसार, रंगमंच क्षेत्र में 1 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को सहायता और संगीत एवं नृत्य क्षेत्र में 01 गुरू और अधिकतम 10 शिष्यों को सहायता प्रदान की जाती है। कलाकारों की आयु के अनुरूप गुरु के लिए 15000/- रु. प्रतिमाह और शिष्य के लिए 2000-10000/- रुपए प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जाती है।

2. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता: इस स्कीम में निम्नलिखित घटक शामिल हैं :

i. **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य पूरे देश में कला और संस्कृति के संवर्धन में शामिल राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों का संवर्धन और उन्हें सहायता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के तहत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है जिसे विशेष परिस्थितियों में 5.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

ii. **सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपए का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष परिस्थितियों में 20 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

iii. **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए तक होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

iv. **बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00 लाख रुपए प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

v. **स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपए तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपए तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

vi संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

vii. स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव' के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करना है।

3. टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम का उद्देश्य मंच प्रस्तुतियों (नृत्य, नाटक और संगीत), प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, साहित्यिक कार्यकलापों, ग्रीन रुम आदि सुविधाओं और अवसंरचना युक्त सभागार जैसे नए बड़े सांस्कृतिक स्थलों के सृजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों/निकायों, नगर निगमों, प्रतिष्ठित गैर-लाभ-अर्जक संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम घटक मौजूदा सांस्कृतिक सुविधाओं (रबीन्द्र भवन, रंगशालाओं) आदि के जीर्णोद्धार, नवीकरण, विस्तार कार्य, परिवर्तन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए सहायता भी प्रदान करता है। सामान्यत: इस स्कीम घटक के अंतर्गत, किसी परियोजना के लिए अधिकतम 15 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय वित्तीय सहायता, कुल अनुमोदित लागत का 90 प्रतिशत होगी और कुल अनुमोदित परियोजना लागत का शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार/पूर्वोत्तर परियोजनाओं हेतु एनजीओ या संबंधित संगठन द्वारा वहन किया जाएगा तथा एनईआर को छोड़कर, केन्द्रीय सहायता और राज्य के हिस्से (समतुल्य हिस्सा) का अनुपात 60:40 है।

4. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति की स्कीम : इस स्कीम में निम्नलिखित तीन (03) घटक हैं।

i. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में 25 से 40 वर्ष के आयु वर्ग (कनिष्ठ) और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग (वरिष्ठ) के उत्कृष्ट व्यक्तियों को प्रत्येक बैच वर्ष में सांस्कृतिक शोध के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए क्रमश: 10,000/- रुपये प्रतिमाह और 20,000/- रुपये प्रतिमाह की 400 तक अध्येतावृत्तियां (200 कनिष्ठ और 200 वरिष्ठ) प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

ii विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम

प्रत्येक बैच वर्ष में 400 तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के उत्कृष्ट प्रतिभावान युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत; भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, मूक अभिनय, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं तथा सुगम

शास्त्रीय संगीत आदि के क्षेत्र में भारत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए 2 वर्षों के लिए 5000/- रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

iii. सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस स्कीम घटक का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं और देश में मान्यताप्राप्त अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं को सुदृढ़ एवं जीवंत बनाना है ताकि विद्वानों/शिक्षाविदों को प्रोत्साहित करते हुए इन संस्थाओं के साथ पारस्परिक हित की परियोजनाओं पर वे स्वयं को संबद्ध कर सकें। इसके अंतर्गत अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए कुल 15 अध्येतावृत्तियां (80,000/-रुपये प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) और कुल 25 छात्रवृत्तियां (50,000/-रु. प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति चार (04) बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

5. **वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता**

इस स्कीम का उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के अनुभवी कलाकारों एवं विद्वानों जिनकी वार्षिक आय 72000/- रुपये से अधिक न हो और उन्होंने कला, साहित्य आदि के अपने विशेष क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, को प्रति माह अधिकतम 6000/- रुपये तक की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। लाभार्थी की मृत्यु के पश्चात वित्तीय सहायता उनके/उनकी पति/पत्नी को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

6. सेवा भोज योजना

'सेवा भोज योजना' की स्कीम के अंतर्गत धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं को जनता को नि:शुल्क भोजन वितरित करने के लिए विशिष्ट कच्ची खाद्य सामग्रियों की खरीद पर उनके द्वारा भुगतान किए गए केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) की केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में की जाती है। सेवा भोज योजना स्कीम के अंतर्गत गुरुद्वारा, मंदिर, धार्मिक आश्रम, मस्जिद, दरगाह, गिरजाघर, मठ, बौद्ध मठ आदि जैसे धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं द्वारा वितरित किए जाने वाले नि:शुल्क 'प्रसाद' या नि:शुल्क भोजन या नि:शुल्क 'लंगर'/'भंडारा' (सामुदायिक रसोई) आदि शामिल हैं।

अनुलग्नक-II

'छत्तीसगढ़ में जनजातीय संस्कृति और कला का संरक्षण' के संबंध में दिनांक 10 मार्च, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1674 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों/व्यक्तियों की संख्या

क्र. सं.	**स्कीम का नाम**	**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**	
		सहायता प्राप्त व्यक्तियों/संगठनों की संख्या	वित्तीय सहायता की राशि (**लाख रुपये में**)	सहायता प्राप्त व्यक्तियों/संगठनों की संख्या	वित्तीय सहायता की राशि (**लाख रुपये में**)	सहायता प्राप्त व्यक्तियों/संगठनों की संख्या	वित्तीय सहायता की राशि (**लाख रुपये में**)
1.	गुरू-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)	-	-	-	-	09	33.52
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	04	8.25	01	0.50	03	21.69
3.	संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम	-	-	03	3.60	-	-
4.	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम	03	0.90	03	0.90	09	2.70
5.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान स्कीम	0	0	01	7.5	-	-

अनुलग्नक-III

'छत्तीसगढ़ में जनजातीय संस्कृति और कला का संरक्षण' के संबंध में दिनांक 10 मार्च, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1674 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में एससीजेडसीसी, नागपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम और लाभान्वित कलाकारों की संख्या

2021-22

क्र. सं.	**कार्यक्रम का नाम**	**तारीख**	**लाभान्वित कलाकारों की संख्या**
1.	रायपुर में देशभक्ति थीम पर लोक एवं जनजातीय नृत्य	14 अगस्त, 2021	20
2.	रायपुर में आजादी के नगमे देखो अपने देश	15 अगस्त, 2021	15
3.	रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव	28 से 30 अक्टूबर, 2021	177
4.	रायपुर में आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव	26 से 28 दिसंबर, 2021	105
5.	भिलाई में केबीआर बिमलार्पण संगीत महोत्सव	7 से 9 जनवरी, 2022	09
6.	बिलासपुर और बलरामपुर में राष्ट्रीय स्तर की रंगोली प्रतियोगिता	2 और 9 जनवरी, 2022	135
7.	रायपुर में ऑक्टेव - पूर्वोत्तर महोत्सव	5 से 8 मार्च, 2022	214

2022-23

क्र. सं.	**कार्यक्रम का नाम**	**तारीख**	**लाभान्वित कलाकारों की संख्या**
1.	जगदलपुर में बिरसा मुंडा जयंती (नाटक एवं नुक्कड़ नाटक)	10 और 11 जून, 2022	42
2.	बिलासपुर में नृत्य भक्ति गीत संगीत समारोह	19 अगस्त, 2022	15
3.	राजनंदगांव में "संस्कार-2022" 10 दिवसीय कला शिविर	10 से 20 सितंबर, 2022	40

4.	जगदलपुर में दशहरा महोत्सव	28 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2022	90
5.	रायपुर में 22वां राज्योत्सव और तीसरा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव	1 से 3 नवंबर, 2022	149
6.	बिलासपुर में शास्त्रीय संगीत सभा	5 नवंबर, 2022	33
7.	भिलाई में आचार्य पंडित बिमलेंदुमुखर्जी को समर्पित केबीआर बिमलार्पण संगीत महोत्सव	12 से 14 जनवरी, 2023	17
8.	भिलाई में लोक नृत्य भारत भारती	24 से 26 जनवरी, 2023	90
9.	दुर्ग में गनियारी लोक कला महोत्सव	11 से 12 फरवरी, 2023	135

2023-24

क्र. सं.	**कार्यक्रम का नाम**	**तारीख**	**लाभान्वित कलाकारों की संख्या**
1.	राजनंदगांव में गुरु शिष्य परम्परा (लोक नाट्य नाचा)	1 से 30 अप्रैल, 2023 12 माह के लिए जीएसपी प्रशिक्षण (1 दिसंबर, 2022 से 1 नवंबर, 2023)	06
2.	खैरागढ़ में पंथी नृत्य प्रशिक्षण कार्यशाला	15 से 29 जुलाई, 2023	50
3.	मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान - छत्तीसगढ़ के 57 ब्लॉक/तहसीलों में स्किट, नुक्कड़ नाटक "सांस्कृतिक कार्यक्रम"	10 से 15 अगस्त, 2023	454
4.	रायपुर में रंग मध्य दक्षिणी	23 और 24 सितंबर, 2023	33
5.	मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान - छत्तीसगढ़ के 62 ब्लॉक/तहसीलों में स्किट, नुक्कड़ नाटक "सांस्कृतिक कार्यक्रम"	3 से 9 अक्टूबर, 2023	600

ख्*****